



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय आई.टी.आई., फरीदाबाद।

यादी क्रमांक टीए/92/230/प्रशा01/एए2/1089
दिनांक: 25/5/2015

विषय:- मैडीकल आधार पर विकलांग भत्ता देने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र यादी क्र 562 दिनांक 5.3.2015 के संदर्भ में।
श्री अजीत सिंह, सेवादार-कम-चौकीदार का मैडीकल मूलरूप में भेजा जाता
है। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतें दिनांक 10.9.1982 के अनुसार विकलांग
भत्ता पेन-ग्रेड पे का 10प्रतिशत कम से कम 1000/-रूपये और अधिक से अधिक
2000/-रूपये मैडीकल प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि दिनांक 4.3.2015 से देने बारे
स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हिलन/उषत

Ucar

सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

I सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-6) / Modal Office
wednesday.